



(भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड)

**शेयरों के परोक्ष लेन-देन (इनसाईडर ट्रेडिंग)
के विनियमन और रिपोर्टिंग और
निष्पक्ष प्रकटीकरण 2015 के लिए आचार संहिता**

(संशोधित और 01.04.2019 से प्रभावी)

भाग - I

**शेयरों के परोक्ष लेन-देन (इनसाइडर ट्रेडिंग)
के विनियमन और रिपोर्टिंग और
निष्पक्ष प्रकटीकरण 2015 के लिए आचार संहिता**

(1) परिचय:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (शेयरों के परोक्ष लेन-देन) (संशोधित) अधिनियम 2002 का अनुसरण करते हुए कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 एव भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (शेयरों के परोक्ष लेन-देन के निषेध) अधिनियम 2015, जोकि 14 मई 2015 से प्रभावी है (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार आचार संहिता को अपनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान एव अन्य व्यवस्था विधान समय-समय पर पेश / संशोधित किए गए विनियमों के अनुसार मान्य होंगे।

(2) नीति और दायित्व

कंपनी अप्रकाशित मूल्यों की संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को संरक्षित रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती है। कंपनी सभी हितधारकों के साथ पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार्यता के लिए प्रतिबद्ध है और मौजूदा नीतियों के अनुसार सभी कानूनों और विनियमों के पालन को सुनिश्चित करती है। कंपनी के प्राधिकृत व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे कंपनी में अपने काम के दौरान प्राप्त की गई ऐसी सभी सूचनाओं की गोपनीयता को सुरक्षित रखें। किसी भी निदेशक व अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने या किसी तीसरे पक्ष को लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी के पद या ज्ञान का उपयोग नहीं किया जा सकता।

(3) कोड का उद्देश्य

कोड का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अनुपालन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों व उनके निकट संबंधियों द्वारा किए जाने वाले ट्रेडिंग (शेयरों के परोक्ष लेन देन के निषेध) अधिनियम 2015, जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करना है। यह कोड प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अप्रकाशित मूल्यों की संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए कार्यप्रणाली और पद्धति भी प्रदान करता है।

(4) प्रयोज्यता

यह सन्दिता इस सन्दिता में उल्लिखित सभी प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू होगा ।

(5) परिभाषाएं

इस सन्दिता में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो:-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और समय-समय पर जारी किया गया कोई भी संशोधन।

(ख) "कंपनी" का तात्पर्य भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कानकार) है।

(ग) "अनुपालन अधिकारी" का अर्थ है कंपनी सचिव या ऐसे अन्य वरिष्ठ अधिकारी जोकि इसके लिए प्राधिकृत है, जिनकी रिपोर्टिंग निदेशक मंडल को है, जो अपेक्षित वित्तीय जानकारी रखते हैं, व इन नियमों के कानूनी और नियामक अनुपालन के लिए आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हैं और निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के तहत जो नीतियों,

प्रक्रियायो के अनुपालन, अभिलेखों का रखरखाव, अप्रकाशित मूल्यों की संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण, व्यापार की निगरानी, निर्दिष्ट संकेतावली के कार्यान्वयन के पालन करने हेतु उत्तरदायी है।

(घ) स्पष्टीकरण - इस संहिता के उद्देश्य के लिए, **वित्तीय रूप से साक्षर** का अर्थ वह व्यक्ति है जोकि वित्तीय विवरणों की मूल जानकारी को पढ़ने और समझने में सक्षम हो जैसे कि तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि खाता, और नकदी प्रवाह इत्यादि।

(ड) संबंधित व्यक्ति का मतलब

(i) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के संबंधित अधिनियम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में, या किसी छह महीने पहले या उसके दौरान जुड़ा हुआ है, या किसी भी संविदात्मक, जिम्मेदार पद पर होने या रोजगार संबंध में अपने अधिकारियों के साथ लगातार संवाद करता है, या कंपनी में एक निदेशक, अधिकारी या कोई कर्मचारी होने के नाते या कंपनी व स्वयं के मध्य किसी भी प्रकार के पेशेवर या व्यावसायिक संबंध के अस्थायी या स्थाई तौर कोई पद रखता है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, एव इस अधिकार को यथोचित रूप से देना अपेक्षित है ।

(ii) पूर्वगामी व्यापकता के पक्षपात के बिना, निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को तब तक संबंधित व्यक्ति माना जाएगा जब तक कि विरोधाभास स्थापित नहीं किया जाता है।

(a) खंड (i) में निर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों के निकट संबंधी।

- (b) एक होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी या
- (c) अधिनियम के धारा 12 में निर्दिष्ट मध्यस्थ कोई भी कर्मचारी या निदेशक या
- (d) एक निवेश कंपनी, न्यासी कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसके एक कर्मचारी या निदेशक; या
- (e) एक निकाय, वितरण केंद्र व शेयर बाजार का अधिकारी या
- (f) सहभागी कोष के न्यासी मंडल का सदस्य या सहभागी कोष की संपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कोई कर्मचारी या
- (g) कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 2, (72) में परिभाषित निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का कर्मचारी, या
- (h) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत एक स्व-नियामक संगठन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी।
- (i) कंपनी का एक बैंकर या
- (j) सबधित, व्यवसाय संघ, संगठन, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या ऐसे संघ से है जिसमें कंपनी के निदेशक या उनके निकट संबंधी या कंपनी के बैंकर, के पास होल्डिंग या ब्याज का दस प्रतिशत से अधिक है।

da) इस कोड के विषय में "प्राधिकृत व्यक्तियों" से तात्पर्य निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधक एवं इस स्तर से ऊपर के सभी अधिकारीगण और निगमित कार्यालय में कार्यरत वित्त और लेखा विभाग के सभी कर्मचारी (ई0-ई5), क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय इकाईयों के सभी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे ।

- I. कंपनी के वे कर्मचारी, जोकि कम्पनी में अपनी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर अथवा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नामित है ।
- II. कंपनी की भौतिक सहायक कंपनियों के कर्मचारी जोकि अपनी कार्यात्मक भूमिका या पहुंच के आधार पर अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के लिए नामित है ।
- III. सभी प्रवर्तक:
- IV. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वे कर्मचारी जोकि कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कार्यात्मक भूमिका से दो स्तर नीचे के पद के बावजूद अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।
- V. सूचीबद्ध कंपनी के कोई भी सहायक कर्मचारी जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) या सचिवीय कर्मचारी, जिनकी पहुंच में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी हो ।

VI. एक इनसाइडर सूत्र और

VII. ऐसे अन्य कर्मचारी जो समय-समय पर विनियमों के अनुसार प्राधिकृत किए जा सकते हैं।

प्राधिकृत व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल कोई भी कर्मचारी जोकि कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / निष्कासन आदि की स्थिति में अलग होता है, उसे उस तिथि के बाद छह महीने की आगे की अवधि के लिए इस परिभाषा में सम्मिलित माना जाएगा ।

e) **"कर्मचारी"** का तात्पर्य कम्पनी के निदेशकगणो सहित प्रत्येक कर्मचारी।

f) **"साधारणतया उपलब्ध सूचना"** का अर्थ है ऐसी जानकारी जो बिना किसी पक्षपात के जनता के लिए सुलभ हो ।

g) **"निकट संबंधी"** का अर्थ किसी व्यक्ति के माता-पिता सहित उसका जीवनसाथी (पति/पत्नी), और इसमें ऐसे व्यक्ति के भाई-बहन और बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर होता है, या ऐसे व्यक्ति से शेयरो के व्यापार के प्रतिभूतियों से संबंधित निर्णय लेने पर मशवरा करता हो ।

h) **"इनसाइडर सूत्र"** का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति, जो

I. संबंधित व्यक्ति

II. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी या उनके आधिपत्य को प्राप्त करने वाला ।

i) तिमाही का अर्थ 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के तीन माह ।

j) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत "प्रतिभूति" का अर्थ सहभागी कोष की इकाइयों के अतिरिक्त म्यूचुअल फंड की युनिटों को छोड़कर कोई भी संशोधन जिसे जैसा अर्थ दिया गया हो ।

k) "शेयर बाजार" का तात्पर्य है वो सभी शेयर बाजार जिसके साथ कंपनी की प्रतिभूति सूचीबद्ध होती है।

l) "ट्रेडिंग विंडो" का तात्पर्य कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अवधि। ट्रेडिंग विंडो बंद होने के अतिरिक्त सभी दिन ट्रेडिंग अवधि के अंतर्गत मान्य होंगे।

n) "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" का अर्थ निम्नलिखित से संबंधित कोई भी सूचना जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित हो व जो आम तौर पर उपलब्ध न होने तथा उपलब्ध होने की स्थिति, जिससे कि प्रतिभूतियों की कीमत को आंशिक रूप से प्रभावित करती हो, तथा सामान्य रूप से इसमें निम्नलिखित से संबंधित सूचना पर प्रतिबंधित नहीं है :-

- I. वित्तीय परिणाम ;
- II. लाभांश;
- III. पूंजी संरचना में परिवर्तन;

- IV. विलय, अविलय, अधिग्रहण, असूचनीय, निपटान और व्यापार का विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन और;
- V. मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन;

o) "कार्य दिवस" का तात्पर्य वह कार्य दिवस है, जब संबंधित शेयर बाजार को, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, को नियमित रूप से शेयरों के लेन देन (ट्रेडिंग) की अनुमति दी जाती है ।

p) अन्य सभी शब्दों और वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जोकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (शेयरों के परोक्ष लेन-देन के निषेध) विनियम, 2015, समय-समय पर संशोधित, के तहत है । इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जोकि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या कंपनी अधिनियम, 2013 और नियम और विनियम में परिभाषित किए गए हैं उस विधान में क्रमशः दिए गए अर्थ लिए जाएंगे ।

(6) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संचारण व प्राप्त करने पर निषेधाज्ञा

6.1 सभी प्राधिकृत व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। संगठन के भीतर समस्त जानकारी को आवश्यकतानुसार जानने की आवश्यकता के आधार पर ही नियंत्रित किया जाएगा और कोई भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को शेयरो के परोक्ष रूप से लेन देन करने वाले व्यापारी के तर्क संगत उद्देश्यों, कर्तव्यों के कार्य-निष्पादन या उनके कानूनी दायित्वों के निर्वहन में सहायक होने की स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं दी जाएगी।

6.2 कोई भी अंदरूनी सूत्र कंपनी को या उसकी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध हेतु प्रस्तावित जानकारी से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी, जोकि सूचीबद्ध हो या केवल जहाँ यह संचार तर्क संगत उद्देश्यों, कर्तव्यों के कार्य-निष्पादन या उनके कानूनी दायित्वों के निर्वहन में सहायक होने की स्थिति के अतिरिक्त अन्य अंदरूनी सूत्रो सहित किसी भी व्यक्ति को संवाद/संचार, प्रदान या प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है ।

6.3 कोई भी व्यक्ति, अन्य किसी भी अंदरूनी सूत्रो से कंपनी से संबंधित या इसके सूचीबद्ध प्रतिभूति या प्रस्तावित सूचीबद्ध को, केवल जहाँ इसका उपयोग तर्क संगत उद्देश्यों, कर्तव्यों के कार्य-निष्पादन या उनके कानूनी दायित्वों के निर्वहन में सहायक होने की स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति को संचार, प्रदान या प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है ।

6.4 इस कोड के तहत साधारणतया अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को भागीदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारी बैंकों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालिया पेशेवरों या अन्य परामर्शदाताओं/सलाहकारों के साथ संवाद/संचार को इस कोड के निषेध को नजरअंदाज करने की स्थिति के अतिरिक्त इसे वैध उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है अथवा इसके तर्कसंगत होने का अर्थ लगाया जा सकता है।

6.5 "वैध उद्देश्य" के तहत अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कोड के उद्देश्यों के लिए एक "इनसाइडर" माना जाएगा और इस कोड के तहत ऐसे व्यक्तियों को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा।

6.6 इस कोड में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के इस प्रकार के आदान-प्रदान के संबंध में इसके संचार व प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है -

(i) यदि कंपनी के निदेशक मंडल के परामर्शानुसार अधिग्रहण नियमों के तहत इस तरह की जानकारी आदान-प्रदान करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है तो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को प्रसारित किया जा सकता है ।

(ii) अधिग्रहण नियमों के तहत एक खुली पेशकश करने के दायित्व को नकारते हुए, जहां कंपनी के निदेशक मंडल की राय है कि ऐसी जानकारी को आदान-प्रदान करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और जानकारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का सृजन करती है, उसका प्रसार

प्रस्तावित लेनदेन से पहले आम तौर पर कम से कम दो कारोबारी दिनों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि निदेशक मंडल सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष होने का निर्धारण किया जा सके।

6.7 खंड 6.6 के उद्देश्य के अतिरिक्त कंपनी की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की प्राप्ति की स्थिति में प्रतिभूतियों से संबंधित व्यापार न करने के अलावा उपरोक्त खंड के प्रयोजन के लिए, विशिष्ट जन को इस तरह के पक्षों की ओर से गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों को अनुबंधित करने के लिए समझौतों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी ।

6.8 निदेशक मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दर्शाते हुए, उनके स्थायी खाता संख्या सहित या जहां स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है ऐसे स्थिति में कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ साझा की जाती है उसका एक डिजिटल डाटाबेस सूचना (डिजिटल डेटाबेस) तैयार किया जाए । इस तरह के आधारभूत आंकड़ों को मुद्रांकन और लेखा सत्यापन के साथ पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच सहित सुरक्षित रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आधारभूत आंकड़ों में छेड़छाड़ न हो।

(7) अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति और भूमिका

कंपनी द्वारा कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो निदेशक मंडल की पर्यवेक्षण के तहत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय को रिपोर्ट करता है । उसकी अनुपस्थिति में, कंपनी सचिवालय में कंपनी सचिव से निचले श्रेणी का अधिकारी /

व्यक्ति, अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अपने कार्यभार को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए; अनुपालन अधिकारी को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाएगा और उसके कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति और मूलभूत व्यवस्थाए प्रदान की जाएगी । अपने कर्तव्यों के कार्य-निष्पादन के दौरान, अनुपालन अधिकारी को प्रतिभूतियों, कर्मचारियों और कंपनी के अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकारा होगा ।

अनुपालन अधिकारी इनके लिए उत्तरदायी होगा -

निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी, अनुपालन नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रख-रखाव, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के नियमों के अनुपालन हेतु, व्यापार के पर्यवेक्षण और आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिनियमों के तहत निर्दिष्ट निकाय प्रकटीकरण प्रथाओं और अन्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के तहत अनुपालन का निरीक्षण करना ।

कंपनी के निगमित कार्यालय के मानव संसाधन विभाग का दायित्व उन प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची तैयार करना है जो आरंभिक समय से कंपनी के कर्मचारी हैं और तदोपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि है तो वे उनके द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक प्रकटीकरण की भी व्यवस्था करना है ।

(8) अभिरूचि का प्रकटीकरण

(i) प्रारंभिक प्रकटीकरण

(a) प्रत्येक समर्थक, समर्थक समूह का सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और कंपनी के निदेशक, जिनकी प्रतिभूतियाँ शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, उनके द्वारा 14 मई 2015 तक निर्धारित फार्म (अनुलग्नक "A") के अनुरूप तीस दिनों के भीतर कंपनी की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का प्रकटीकरण करना होगा ।

(b) प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक या निदेशक या कंपनी के नामित व्यक्ति, समर्थक समूह का सदस्य, या समर्थक के रूप में नियुक्त होने पर उन्हें कंपनी को, समर्थक या समर्थक समूह का सदस्य होने या नियुक्त होने के सात दिनों के भीतर कंपनी की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का प्रकटीकरण निर्धारित फार्म (अनुलग्नक "B") के अनुसार करना होगा ।

(ii) निरंतर प्रकटीकरण:

(a) प्रत्येक समर्थक, समर्थक समूह का सदस्य, नामित व्यक्ति और कंपनी के निदेशक द्वारा निर्धारित फार्म (अनुलग्नक "B") के अनुसार इस तरह के प्रतिभूतियों के अधिग्रहण व व्यवस्थापन की संख्या इनके लेनदेन, चाहे वह किसी भी कैलेंडर के तिमाही में लेनदेन की एक श्रृंखला हो अथवा व्यापार के समुच्चय मूल्य का १० लाख से अधिक हो, या ऐसे अन्य मूल्य जो नियमों के तहत निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, का कंपनी को प्रकटीकरण होगा ।

(b) कंपनी का अनुपालन अधिकारी प्रकटीकरण प्राप्त होने के दो दिन के भीतर या ऐसी जानकारी से अवगत होने पर शेयर बाजार को ऐसे

व्यापार के विवरणों को अधिसूचित करेगा, जिस पर प्रतिभूतियों को प्रकटीकरण प्राप्त होने के दो व्यापारिक दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जाता है ।

(c) वृद्धिशील लेन-देन का प्रकटीकरण तब किया जाएगा जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद लेन-देन प्रभावित होता है, जो निर्दिष्ट सीमा को पार करता है ।

(iii) इस खंड के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण में ऐसे व्यक्ति के निकट संबंधियों, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार से संबंधित उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापारिक निर्णय लेता है ।

(iv) इस कोड के तहत अनुपालन अधिकारी प्रतिवर्ष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय को रिपोर्ट करेगा, जिसकी पुष्टि कंपनी के लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को भी की जाएगी।

(v) प्रतिभूतियों को प्रकटीकरण के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अमौलिक रूप से व्यापार सम्मिलित होंगे और इस खंड के उद्देश्य से अमौलिक व्यापार के मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

9) 5% या अधिक की शेयरधारिता या ब्याज का प्रकटीकरण

(I) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में 5 (पांच) प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान का अधिकार रखता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे धारक बनने के दो (2) कार्य दिवस दिनों के भीतर कंपनी को निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-डी) के अनुसार इस प्रकार के धारक बनने पर शेयरों के स्वामित्व की संख्या या मतदान अधिकार का प्रकटीकरण करेगा -

(a) शेयरों के आवंटन की सूचना की प्राप्ति या

(b) मामले के अनुरूप, शेयरों या मतदान के अधिकार का अधिग्रहण

(II) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी में 5 (पांच) प्रतिशत से अधिक शेयर या मतदान अधिकार रखता है, तो उसे कंपनी को निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-ई) के अनुसार शेयरों के स्वामित्व की संख्या या मतदान के अधिकार और कंपनी के शेयरधारिता या मतदान अधिकारों में परिवर्तन का, भले ही इस तरह के परिवर्तन के फलस्वरूप शेयरधारिता में पांच प्रतिशत की गिरावट हो, यदि इस उप-विनियमन-1 या उप-विनियमन के तहत अंतिम प्रकटीकरण कंपनी में कुल शेयरधारिता या मतदान के अधिकार का दो प्रतिशत से अधिक है, का प्रकटीकरण करना होगा ।

(III) 9 (I) और 9 (ii) के तहत उपरोक्त दो प्रकटीकरणों को दो कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा :-

(a) शेयरों के आवंटन की सूचना प्राप्त करना; या

(b) शेयरों या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण या बिक्री, जैसा भी मामला हो

10) सभी कर्मचारियों द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का संरक्षण

(i) वे सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। वे किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश करने के माध्यम से इन प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए इस तरह की सूचना की जानकारी / प्रवाह नहीं करेंगे ।

(ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी को "जानने की आवश्यकता" के आधार पर ही प्रबंधित किया जाएगा अर्थात इसका प्रकटीकरण केवल कंपनी के भीतर कार्यरत वे जिन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु इस सूचना की आवश्यकता है, को किया जाएगा ।

(iii) गोपनीय जानकारी से संबंधित फाइलों को सुरक्षित रखा जाएगा

iv) कंप्यूटर फ़ाइलों में लॉगिन और पासवर्ड आदि की पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए।

(v) गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंपनी ने एक नीति अपनाई है जिसके तहत जो कंपनी के उन कार्यस्थलों को भिन्न करती है जिनकी नियमित रूप से गोपनीय जानकारी तक पहुँच होती है और जानकारी को विभागीय प्रमुख द्वारा आवश्यकता के आधार पर जानकारी के अनुरूप ही सांझा किया जाता है ।

(11) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के अधीकरण होने की स्थिति में शेयरों का लेन-देन (ट्रेडिंग)

अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के अधिग्रहण के दौरान किसी भी इनसाईडर द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों जोकि शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं, मैं व्यापार नहीं करूँगे जब तक कि इनसाईडर निम्नलिखित कारणों द्वारा स्वयं के निर्दोष होने को सिद्ध न कर दे -

(i) कार्रवाई (लेनदेन) इनसाईडर्स के मध्य लेनदेन एक पारस्परिक निष्कृत्य बाजार है, जोकि उपरोक्त 6 नियम के उल्लंघन के बिना और दोनों पक्षों जोकि अंतर्गत अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का अधिग्रहण रखते थे ने एक सचेत और जागरूक व्यापारिक निर्णय लिया है ।

बशर्ते कि इस तरह के अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को खंड 6.6 के तहत प्राप्त नहीं किया गया है ।

बशर्ते आगे कहा गया है कि इस तरह के निष्कृत्य बाजार व्यापार को अंदरूनी सूत्रों द्वारा कंपनी को निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-सी) के अनुसार, जिन पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है को शेयर बाजार को प्रकटीकरण प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर अथवा इस तरह की जानकारी से अवगत होने पर अधिसूचित किया जाएगा ।

ii) गैर-व्यक्तिगत अंदरूनी सूत्रों के मामले में: -

a) जो व्यक्ति ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का अधिग्रहण रखते थे, वे व्यक्ति व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों से अलग थे और ऐसे निर्णय लेने वाले व्यक्ति व्यापारिक निर्णय लेते समय ऐसे मूल्य संवेदनशील जानकारी का अधिग्रहण नहीं रखते थे; और

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी व्यक्तियों द्वारा व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को जानकारी के साथ संप्रेषित करने हेतु इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही इस बात का कोई प्रमाण है कि ऐसी व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है, उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था की गई थी ।

iii) व्यापार को व्यापारिक योजना के नियम 14 के अनुसार ही नियोजित किया गया था ।

iv) लेनदेन को उन व्यक्तियों के मध्य बाध्य समझौता विंडो (ब्लॉक डील विंडो) तंत्र के माध्यम से किया गया था, जो 6 खंडों के विनियमन खंड का उल्लंघन किए बिना अप्रकाशित मूल्य लाभकारी सूचना का अधिग्रहण रखते थे, और दोनों पक्षों ने एक जागरूक और सूचित व्यापार निर्णय लिया बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को उपरोक्त 6.6 खंड के तहत प्राप्त नहीं किया गया है ।

v) विचाराधीन लेनदेन को वैधानिक या विनियामक दायित्व के अनुसार किया गया था ताकि वह वास्तविक लेन-देन कर सके।

vi) विचाराधीन लेनदेन स्टाक के विकल्प की प्रक्रिया के अनुसार किया गया था जिसके संबंध में मूल्य प्रक्रिया नियमों के अनुपालन के तहत पूर्व-निर्धारित थी ।

स्पष्टीकरण - जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के अधिग्रहण में प्रतिभूतियों में व्यापार किया गया है, तो उसके व्यापार को इस तरह की जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित होना परिकल्पित माना जाएगा ।

12) व्यापारिक दरीचा (ट्रेडिंग विण्डो)

व्यापारिक दरीचे के बंद होने की अवधि के दौरान, नामित व्यक्ति और/या उनके निकट संबधियो द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं किया जाएगा । नियम 10 (ii) में उल्लिखित जानकारी अप्रकाशित होने के दौरान व्यापारिक दरीचे (ट्रेडिंग विण्डो) को बंद कर दिया जाएगा।

ii) **ट्रेडिंग विण्डो** को अन्य कारणों सहित बंद रखा जाएगा -

a) 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी और 1 अप्रैल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथे तिमाही के क्रमशः बोर्ड द्वारा वित्तीय परिणामों के संबंध में।

b) लाभांश की घोषणा के अनुमोदन हेतु आयोजित बोर्ड बैठक की तारीख से दस दिन पहले (अंतरिम और अंतिम)

c) सार्वजनिक / अधिकार / बोनस आदि के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी हेतु आयोजित बोर्ड बैठक से दस दिन पहले ।

d) किसी भी बड़ी विस्तार योजनाओं या नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अनुमोदन हेतु आयोजित बोर्ड बैठक से दस दिन पहले

e) समामेलन, विलय, अधिग्रहण और पुनः क्रय के अनुमोदन हेतु आयोजित बोर्ड बैठक से दस दिन पहले ।

f) सम्पूर्ण या आंशिक रूप से उपक्रम के निपटान को मंजूरी देने के लिए आयोजित बोर्ड बैठक से दस दिन पहले ।

g) कंपनी की नीतियों, योजनाओं या संचालन में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के लिए आयोजित बोर्ड बैठक से दस दिन पहले ।

h) ऐसी अवधि के लिए और ऐसे किसी भी अन्य घटना के लिए जिसे अनुपालन अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है ।

उपरोक्त जानकारी के सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे के बाद **व्यापारिक दरीचे** (ट्रेडिंग विंडो) को खोला जाएगा । हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ इसका अधिकार देती हैं, तो अनुपालन अधिकारी और निदेशक मंडल की स्वीकृति से **व्यापारिक दरीचे** (ट्रेडिंग विंडो) को बंद करने का समय बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

iii) कंपनी के सभी पदनामित व्यक्ति और/या उनके निकट संबंधी, कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के दौरान कंपनी के सभी व्यापारों का संचालन केवल एक वैध **व्यापारिक दरीचे** (ट्रेडिंग विंडो) द्वारा ही करेंगे और ऐसी अन्य अवधि जो कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है व **व्यापारिक दरीचे** (ट्रेडिंग विंडो) के बंद होने के दौरान लेनदेन नहीं करेंगे ।

iv) सभी नामित व्यक्ति और / या उनके निकट संबंधियों द्वारा किसी भी पूर्व लेनदेन के बाद अगले छह महीनों के दौरान कंपनी के प्रतिभूतियों में (विपरीत व्यापार) कॉन्ट्रा ट्रेड अर्थात् विपरीत या प्रतिलोम लेनदेन में प्रवेश नहीं किया जाएगा ।

13) व्यापार की पूर्व मंजूरी

सभी नामित व्यक्ति और/या उनके निकट संबंधी जो एक ही लेन-देन में कारोबार करने के लिए, 200 इक्विटी शेयरों की न्यूनतम सीमा से ऊपर की कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के इच्छुक हैं, या एक सप्ताह के भीतर लेनदेन की श्रृंखला में, या तो उनके स्वयं के और/या उनके निकट संबंधियों के माध्यम से, जब ट्रेडिंग विंडो खुली होती है 600 इक्विटी शेयरों का कारोबार किया जाना है, तो आपको नीचे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन अधिकारी से इस तरह के लेनदेन हेतु पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होगा :

i) प्रतिभूतियों के लेन-देन का विवरण, प्रतिभूतियों के मामले में डीमैट मोड में निक्षेपागार का विवरण अथवा इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।

ii) अन्य बातों का उल्लेख करते हुए कंपनी के पक्ष में (अनुलग्नक- जी) निर्धारित उपक्रम में एक वचन पत्र निष्पादित किया जाएगा:-

a) आवेदक के पास हस्ताक्षर करने तक किसी भी अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी उपलब्ध नहीं होगी और न ही उसकी पहुंच में यह जानकारी होगी ।

b) यदि आवेदक वचन पत्र के हस्ताक्षर के हस्तक्षेप और लेने-देन के निष्पादन के दौरान अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करता है या यह जानकारी उसकी पहुंच तक है तो वह जब तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती, वह अनुपालन अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और स्वयं या उसके आश्रित संबंधियों के माध्यम से प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग (व्यापार) से दूर भी रहेगा ।

c) आवेदक को पूर्व अनुमति प्राप्त करने के सात व्यापारिक दिनों के भीतर कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में स्वयं और / या उसके रिश्तेदार/आश्रित के माध्यम से आदेश निष्पादित करना होगा, यदि नहीं है, तो वह पुनः लेन-देन की पूर्व मंजूरी देगा ।

d) जो आवेदक और/या उसके निकट संबंधी कंपनी के किसी भी शेयर को खरीदते या बेचते हैं, वह विरोधी लेनदेन (व्यापार के खिलाफ) में प्रवेश नहीं करेंगे अर्थात् अगले लेनदेन के बाद अगले छह महीनों के दौरान किसी भी संख्या में न तो शेयर बेचेंगे और न ही खरीदेंगे । आवेदक और/या उसके आश्रित/रिश्तेदार किसी भी स्थिति में कंपनी के शेयरों के यौगिक लेनदेन में भाग नहीं लेंगे ।

e) उसने इस कोड और इस तरह के अन्य संशोधनों को कंपनी द्वारा अधिसूचित या समय-समय पर कानूनों में संशोधन नहीं किया है।

f) आवेदन में पूर्ण और सच्चे खुलासे हैं ।

iii) उपरोक्त निर्दिष्ट इकाईयाँ अपने निवेश को प्राथमिक बाजार (प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) में सदस्यता के मामले में, उपरोक्त इकाईया 30 दिनों की न्यूनतम अवधि के दौरान अपने निवेशो का अवलबन करेंगी । अवलबन अवधि का आरभ प्रतिभूतियों के वास्त्विक आबंटन से माना जाएगा ।

iv) यदि व्यक्तिगत आपात स्थिति में प्रतिभूतियों की बिक्री आवश्यक है, तो इस संबंध में अनुपालन अधिकारी के लिखित रूप से दर्ज करने के उपरांत अवलबन अवधि को माफ किया जा सकता है।

v) यदि नामित व्यक्ति या उसके तात्कालिक रिश्तेदार पूर्व मंजूरी के बाद व्यापार को निष्पादित नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो वह तुरंत इस तरह के निर्णय के अनुपालन की सूचना देगा।

vi) क्या इस तरह के प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए, अन्यथा या अनजाने में, विरोधी व्यापार को निष्पादित किया जाना चाहिए, इस तरह के व्यापार से होने वाले लाभ को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रेषण के लिए विच्छेदित किया जा सकता है, जिसका श्रेय अधिनियम के तहत सेबी द्वारा प्रशासित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष को दिया जाता है।

बशर्ते कि यह स्टॉक विकल्प प्रक्रिया के अनुसरण के तहत व्यापार हेतु लागू नहीं होगा ।

14 व्यापारिक योजना (ट्रेडिंग प्लान)

14.1 एक अंदरूनी सूत्र को व्यापारिक योजना बनाने और उसे अनुमोदन और सार्वजनिक प्रकटीकरण हेतु अनुपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए इस तरह की योजना के अनुसार उसकी ओर से व्यापार किया जा सकता है

14.2 ऐसी ट्रेडिंग योजना

i) योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने से पहले अंदरूनी सूत्र की ओर से व्यापार शुरू करने का अधिकार नहीं होगा ।

ii) किसी भी वित्तीय अवधि के अंतिम दिन से पहले बीसवीं ट्रेडिंग दिवस के बीच की अवधि के लिए ट्रेडिंग को आवश्यक नहीं माना जाएगा, जिसके लिए परिणाम की घोषणा करने की आवश्यकता होती है, और इस तरह के वित्तीय परिणामों के खुलासे के बाद दूसरे दिन -

iii) बारह महीने से कम की अवधि के लिए संपूर्ण व्यापार

iv) किसी भी अवधि का अतिव्यापन नहीं होगा, जिसके लिए एक अन्य व्यापारिक योजना पहले से ही अस्तित्व में है;

v) व्यापार की प्रकृति के साथ-साथ प्रतिभूतियों की संख्या और अंतराल, जिन्हें यह व्यापार प्रभावित होगा या तो व्यापार के मूल्य को निर्धारित किया जाए या; तथा

vi) बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं करना

हालांकि, इस तरह की व्यापारिक योजना के आधार पर व्यापार बाजार में दुरुपयोग के लिए कार्यवाही हेतु पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करेगा

14.3 अनुपालन अधिकारी मूल्यांकन करने के लिए व्यापारिक योजना की समीक्षा करेगा कि क्या इस योजना में नियमों के उल्लंघन की कोई संभावना है, और इस तरह के मूल्यांकन को सक्षम करने और योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति और निगरानी के लिए जो भी आवश्यक हो ऐसे अभिव्यक्त वचन पत्र को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे ।

बशर्ते कि किसी अनुमोदित व्यापार योजना के अनुसार निष्पादित व्यापार के लिए ट्रेडों की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

बशर्ते आगे इस प्रकार है कि एक विपरीत व्यापार हेतु स्वीकृत व्यापारिक योजना के अनुसार किए गए व्यापारों के लिए व्यापारिक मानदंडों (ट्रेडिंग विंडो) पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

14.4 एक बार अनुमोदित व्यापारिक योजना अपरिवर्तनीय होगी और या तो इससे विचलित होने या व्यापारिक योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी व्यापार को निष्पादित करने के बिना अंदरूनी सूत्रों द्वारा अनिवार्य रूप से योजना को लागू करना होगा ।

बशर्ते कि व्यापारिक योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत नहीं की जाएगी यदि अंदरूनी सूत्र के अधिकार में योजना के निर्माण के समय कोई भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी कार्यान्वयन शुरू होने के समय और इस तरह के आयोजन में आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो तो अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि इस तरह के अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को इसके आम तौर पर प्रकटीकरण होने तक स्थगित की जाएगी।

14.5 व्यापारिक योजना के अनुमोदन पर, अनुपालन अधिकारी शेयर बाजारों को योजना को सूचित करेगा, जिस पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

15) प्रतिभूतियों में लेन-देन के लिए आवश्यकताओं की रिपोर्टिंग

i) कंपनी के नामित व्यक्ति और / या उनके निकट संबंधी, अनुपालन अधिकारी को अपनी प्रतिभूतियों के लेनदेन के निम्नलिखित विवरण को आगे भेजेंगे:

a) नामित व्यक्तियों और/या उनके निकट संबंधियों द्वारा कंपनी में शामिल होने के समय, प्रतिभूतियों में सभी होल्डिंग्स को अनुबंधित प्रारूप-बी में सन्दिता के अनुरूप/अधिसूचना में शामिल होने के 2 कार्य दिवसों के भीतर ।

b) प्रतिभूतियों में किसी भी लेन-देन का विवरण, जिसके लिए पूर्व-मंजूरी प्राप्त की गई है, लेन-देन के 7 दिनों के भीतर, अनुबंध-सी के प्रारूप के अनुसार।

ii) अनुपालन अधिकारी, जैसा कि इस कोड/नियमों के तहत न्यूनतम पांच वर्षों के लिए उचित रूप में सभी घोषणाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा ।

iii) अनुपालन अधिकारी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय या निर्दिष्ट समिति के समक्ष निर्दिष्ट व्यक्तियों और / या उनके निकट संबंधियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार के सभी विवरणों और ऐसे दस्तावेजों को जिन्हें ऐसे व्यक्तियों ने नियमों में परिकल्पित पूर्व समाशोधन के तहत निष्पादित किया था, को प्रकट करेगा ।

16) इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण

1) आंतरिक गतिविधियों के नियंत्रण हेतु विनियमों में दी गई आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यकारी कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक या कंपनी के ऐसे अन्य समरूप व्यक्ति, मध्यस्थ या प्रत्ययी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली का प्रयोग करेंगे।

कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कुछ आंतरिक नियंत्रणों को अपनाया है, जो इस प्रकार हैं: -

i) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की पहुंच रखने वाले सभी कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाता है;

ii) सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की पहचान संभव सीमा तक की जाएगी और इस सन्धिता और नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

iii) अंदरूनी सूत्रों सहित सभी नामित व्यक्ति, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संबंध में सभी संचार, विनियमों में दिए गए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संचार या खरीद पर प्रतिबंध के अधीन होंगे।

iv) उन सभी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची जिनके साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा की जाती है उन्हें कंपनी द्वारा बनाए रखा जाएगा और गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या ऐसे सभी व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा।

v) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वर्ष आंतरिक नियंत्रण उपायों की समीक्षा करेगा।

vii) कंपनी की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करेगी और यह भी सत्यापित करेगी कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली उचित है और प्रभावी ढंग से चल कार्य कर रही है।

viii) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकट होने या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संदिग्ध रूप से प्रकट होने के मामले में कंपनी ने जांच के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

vii) कंपनी के पास एक सचेतक (विसल-ब्लोअर) नीति है जो कर्मचारियों को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकट के उदाहरणों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है।

ix) यदि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकट होने या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के लिए संदिग्ध रूप से प्रकट होने के मामले में कंपनी द्वारा एक जांच-पड़ताल शुरू की गई है, तो संबंधित पक्ष पूछताछ के ऐसे आचरण के संबंध में कंपनी के साथ सहयोग करेंगे, और समर्थक बोर्ड को इस तरह के प्रकट या संदिग्ध रूप से प्रकट होने की सूचना प्रदान करेगा ।

X) समय-समय पर, इस सन्दिग्धता में दी गई आवश्यकताओं के अनुपालन और विनियमों के तहत आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली लागू करेगा।

3) नामित व्यक्तियों को नाम और स्थायी खाता संख्या या कंपनी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य अभिजापक निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-एच) के अनुसार, वार्षिक आधार पर और या जब सूचना में परिवर्तन होता है, को प्रकट करना होगा ।

i) निकट संबंधी ।

ii) ऐसे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे नामित व्यक्ति (यो), एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करते हैं;

iii) फोन, मोबाइल और सेल नंबर, जोकि उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं

इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों के नाम जिनसे नामित व्यक्तियों ने स्नातक किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम भी एक समय (वन टाइम) के आधार पर बताए जाएंगे।

स्पष्टीकरण - शब्द "भौतिक वित्तीय संबंध" का अर्थ एक ऐसा संबंध होगा जिसमें एक व्यक्ति किसी भी तरह के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है इस तरह के रूप में एक ऋण या उपहार के तुरंत बाद बारह महीने से पहले, इस तरह के भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के समकक्ष परंतु उन संबंधों को शामिल नहीं करेगा जिनमें भुगतान उचित फासले पर लेन-देन प्रक्रिया पर आधारित है ।

4) कंपनी संवेदनशील लेनदेन पर लोगों को शामिल करते हुए (उन्हें कैसे और कब लाया जाएगा) की आवश्यक प्रक्रिया को अपनाएगी और सुनिश्चित करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाए, जो आंतरिक सूचना की प्राप्ति से जुड़े हों, और जो इस तरह की जानकारी के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग के दायित्व से जुड़ी है

17) आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दंड

इस कोड के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, कंपनी के पास निर्दिष्ट व्यक्तियों पर निम्नलिखित जुर्माना लगाने का अधिकार होगा -

- a) कंपनी के बोर्ड द्वारा घोषित किसी भी लाभांश को रोकना।
- b) कंपनी के पास वसूली, कर लगाकर वसूली (क्लॉकबैक) आदि की कार्रवाई सहित मामले की जांच के बाद कर्मचारी को निलंबित करने, पदोन्नति को रोकने और पदोन्नति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।
- c) कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नामित व्यक्ति (यो) से इस तरह के व्यापार के संबंध में किए गए किसी भी लाभ को पुनर्प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगी।
- d) इस संहिता के उल्लंघन के मामले में, (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन होने पर, कंपनी द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई सेबी और अन्य प्राधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएगी। संहिता में निहित होने के अतिरिक्त यदि सेबी विनियम या किसी भी वैधानिक प्रावधान जो अधिक कठोर हैं, तो सेबी विनियम / वैधानिक प्रावधान ही प्रभावी माने होंगे।
- e) कंपनी के पास संबंधित व्यक्ति को हटाने की शक्ति होगी, जो अपनी स्थापना के तुरंत बाद इस कोड का उल्लंघन करता है।

18) सेबी के सूचना विनियम, 2015 (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) के उल्लंघन के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को सूचना।

यदि कंपनी और / या अनुपालन अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि सेबी के (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमों 2015 का उल्लंघन हुआ है, तो सेबी को कंपनी द्वारा सूचित किया जाएगा।

19) असंगति

इस संहिता के प्रावधानों को विनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यदि दोनों के बीच कोई असंगतता या विरोधाभास है, तो विनियमों के प्रावधान प्रभावी होंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, इस कोड में नहीं बताया गया है सेबी के प्रावधानों (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमों, 2015 के अनुसार प्रभावी और बाध्यकारी होगा।

भाग -II

इनसाईडर ट्रेडिंग के पूर्व भुगतान के लिए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण प्रक्रियाओं की सन्धिता ।

1. कॉर्पोरेट प्रकटीकरण नीति:

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का समय पर और पर्याप्त खुलासा करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना होगा:

2. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का समय पर और पर्याप्त खुलासा करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना होगा:

2.1 अनुपालन अधिकारी द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को शेयर बाजार को निरंतर और तत्काल आधार पर प्रसारित की जाएगी ।

2.2 कानकार द्वारा शेयर बाजार को सार्वजनिक घोषणाओं में निवेशक की पहुंच में जानकारी में अतिरिक्त सूचना का समावेश करके जारी सूचनाओं के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है

3. निरीक्षण और समन्वय का प्रकटीकरण

3.1 कॉनकोर द्वारा कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी और मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी के रूप में कॉर्पोरेट प्रकटीकरण की देखरेख के लिए नामित किया है।

3.2 अनुपालन अधिकारी या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि कंपनी प्रकटीकरण नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर शेयर बाजारो,

विश्लेषकों, शेयरधारकों और मीडिया, और शिक्षित कर्मचारियों को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं, निगरानी और समन्वय का अनुपालन करती हैं ।

3.2 सूचना के प्रकटीकरण / प्रसार को आम तौर पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या शिकायत अधिकारी द्वारा अग्रिम में अनुमोदित किया जा सकता है।

3.3 यदि सूचना बिना पूर्व स्वीकृति के प्रकट हो जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या शिकायत अधिकारी को तुरंत सूचित कर सकता है, भले ही वह सूचना मूल्य संवेदनशील न हो।

4. बाजार की अफवाहों पर प्रतिक्रिया

4.1 अनुपालन अधिकारी किसी भी प्रश्न (समाचार रिपोर्टों पर प्रश्न सहित) या एकसर्चेंजों या नियामक अधिकारियों द्वारा सत्यापन या बाजार अफवाहों पर प्रतिक्रिया प्रकट करेगा।

4.2 अनुपालन अधिकारी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करके यह तय करेगा कि क्या अफवाहों को सत्यापित करने या खंडन करने या फिर प्रकटीकरण करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा आवश्यक है।

5. शेयरधारिता / स्वामित्व और स्वामित्व में परिवर्तन के समय पर रिपोर्टिंग

5.1 प्रमुख शेयरधारकों द्वारा शेयरहोल्डिंग / स्वामित्व का खुलासा और स्वामित्व में परिवर्तन का खुलासा अधिनियम के किसी भी नियम के तहत प्रदान किया गया है एव लिस्टिंग समझौता समय पर और पर्याप्त तरीके से किया जाएगा ।

6. विश्लेषकों संस्थागत निवेशकों के विशेष संदर्भ के साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का प्रकटीकरण / प्रसार

कानकार द्वारा विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ व्यवहार करते समय यहां दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करेगा:-

i) केवल सार्वजनिक जानकारी प्रदान की जाएगी

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा अधिकृत किए गए नामित व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल कोई भी कर्मचारी अनुपालन अधिकारी के पास सूचना के तहत विश्लेषक / अनुसंधान व्यक्तियों / संस्थानों जैसे बड़े निवेशकों को केवल सार्वजनिक जानकारी प्रदान करेगा। वैकल्पिक रूप से विश्लेषक को दी गई जानकारी को अनुपालन अधिकारी को सूचना के तहत जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

ii) चर्चा की रिकॉर्डिंग

गलतफहमी या गलत बयानी से बचने के लिए, कम से कम दो कंपनी के प्रतिनिधियों को विश्लेषकों, दलालों या संस्थागत निवेशकों के साथ बैठकों में उपस्थित होना होगा और चर्चा के रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

iii) अप्रत्याशित प्रश्नों को संभालना

कोई भी कर्मचारी जो नामित व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आता है, विश्लेषकों के सवालों से निपटने के दौरान सतर्क रहना चाहिए जो चर्चा के इच्छित दायरे के बाहर के मुद्दे उठाते हैं। अप्रत्याशित प्रश्नों को नोटिस किया जाना चाहिए और बाद में प्रतिक्रिया पर विचार किया जा सकता है। यदि जवाब में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी शामिल है, तो जवाब देने से पहले एक सार्वजनिक घोषणा की जाएगी

iv) सूचना का एक साथ रिलीज

जब भी कानकार विश्लेषकों के साथ बैठकें आयोजित करता है, तो वह इस तरह की हर बैठक के बाद अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति या प्रासंगिक जानकारी पोस्ट करेगा। कानकार विश्लेषक बैठक के लाइव वेबकास्टिंग पर भी विचार कर सकता है।

7. प्रकटीकरण / प्रसार का माध्यम

i) सूचना के अधिकतम व व्यापक पहुंच, एक समान, सार्वभौमिक और त्वरित प्रसार हेतु इसका संचार/प्रचार कानकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है ।

ii) अनुपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि शेयर बाजार को प्रकटीकरण शीघ्र किया जाए।

iii) अनुपालन अधिकारी अपने समर्पित इंटरनेट वेबसाइट (डेडिकेटेड इंटरनेट वेबसाइट) के उपयोग के माध्यम से प्रकटीकरण की सुविधा भी दे सकता है।

iv) कानकार वेबसाइट निवेशकों को विश्लेषक, विवरण सामग्री, महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी और प्रश्नों व उत्तरों तक सीधे पहुंच का एक सुलभ साधन प्रदान कर सकती है।

v) निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकता के तहत कानकार द्वारा एक्सचेंजों को दर्ज की गई जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जा सकता है ।

8 स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रसार

- i) शेयर बाजार नेटवर्क (स्टाक एक्सचेंज नेटवर्क) व शेयर बाजार वेबसाइट्स (स्टाक एक्सचेंज वेबसाइट) के माध्यम से निवेशकों को आदान-प्रदान करने के माध्यम से त्वरित और कुशल तरीके से प्रकटीकरण प्रसारित किए जा सकते हैं।
- ii) लगातार प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तहत कानकार द्वारा प्रदान जानकारी को एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- iii) शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर कानकार द्वारा प्रदान सूचना के प्रदर्शन के लिए तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए ।

प्रपत्र

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (इनसाईडर ट्रेडिंग का निषेध) अधिनियम 2015, विनियमन 7 (1) (a) नियमों के 6 (a) के साथ पढ़ा जाए - कंपनी को दिया जाने वाला प्रारंभिक प्रकटीकरण

कम्पनी का नाम _____

कम्पनी का आई.एस.आई.एन: _____

अधिनियम 6 (2) के अनुसार प्रवर्तक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (के.एम.पी.), निदेशकग और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा संग्रहित प्रतिभूतियों का विवरण ।

नाम, स्थाई खाता संख्या (पान), सी.आई.एन./डी.आई.एन एव् सम्पर्क सूचना सहित पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रवर्तक)/के.एम.पी./निदेशक गण/निकट संबंधी/अन्य इत्यादि	अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रतिभूतियां का अधिग्रहण		शेयरधारिका का प्रतिशत
		प्रतिभूतियों के प्रकार (उदाहरण के लिए। शेयर अनुज्ञा-पत्र (वारंट), परिवर्तनीय नियम-पत्र आदि।	संख्या	
1	2	3	4	5

नोट: प्रतिभूतियों का अर्थ, सेबी के विनियमन 2 (1) (i) (इनसाईडर ट्रेडिंग के निषेध) अधिनियम 2015 के तहत परिभाषित ही स्वीकार्य होगा ।

जैसा कि अधिनियम 6(2) में निर्दिष्ट है, प्रवर्तक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (के.एम.पी.), निदेशक और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के यौगिक (डेरिवेटिव्स) में खुली रुचि का विवरण

अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से भविष्य के अनुबंधों के प्रति खुली रुचि			अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से विकल्प अनुबंधों के प्रति खुली रुचि		
अनुबंध विनिर्देश	इकाइयों की संख्या (अनुबंध का आकार)	रूपयो के रूप में राष्ट्रीय मूल्य	अनुबंध विनिर्देश	इकाइयों की संख्या (अनुबंध का आकार)	रूपयो के रूप में राष्ट्रीय मूल्य
6	7	8	9	10	11

विकल्पों के मामले में, राष्ट्रीय मूल्य की गणना विकल्पों के लाभाश प्लस स्ट्राइक मूल्य के आधार पर की जाएगी

दिनांक:

स्थान:

नाम एव हस्ताक्षर:

पदनाम :

प्रपत्र - बी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (इनसाईडर ट्रेडिंग का निषेध) अधिनियम 2015, विनियमन 7 (1) (b) नियमों के 6 (2) के साथ पढ़ा जाए - निदेशक / के.एम.पी. और प्रवर्तक बनने पर कंपनी को दिया जाने वाला प्रारंभिक प्रकटीकरण

कम्पनी का नाम _____

कम्पनी का आई.एस.आई.एन: _____

जैसा कि अधिनियम 6 (2) में उल्लिखित है, के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (के.एम.पी.) और निदेशक की नियुक्ति होने पर या किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक बनने अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा संग्रहित प्रतिभूतियों का विवरण ।

नाम, स्थाई खाता संख्या (पान), सी.आई.एन./डी.आई.एन एव् सम्पर्क सूचना सहित पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रवर्तक)/के.एम.पी./निदेशकगण/निकट संबंधी/अन्य इत्यादि	निदेशक/के.एम.पी की नियुक्ति एव् प्रवर्तक बनने की तिथी	प्रवर्तक / निदेशक की नियुक्ति होने पर /के.एम.पी बनने पर प्रतिभूतियों का अधिग्रहण	शेयरधारिका का प्रतिशत (%)	
			प्रतिभूतियों के प्रकार (उदाहरण के लिए। शेयर अनुज्ञा-पत्र (वारंट), परिवर्तनीय नियम-पत्र आदि।	संख्या	
1	2	3	4	5	6

नोट: प्रतिभूतियों का अर्थ, सेबी के विनियमन 2 (1) (i) (इनसाईडर ट्रेडिंग के निषेध) अधिनियम 2015 के तहत परिभाषित ही स्वीकार्य होगा ।

जैसा कि अधिनियम 6(2) में निर्दिष्ट है, प्रोत्साहक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (के.एम.पी.), निदेशक के पद पर नियुक्त होने और अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कंपनी के योगिक पद में खुली रुचि का विवरण

अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से भविष्य के अनुबंधों के प्रति खुली रुचि			अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से विकल्प अनुबंधों के प्रति खुली रुचि ।		
अनुबंध विनिर्देश	इकाइयों की संख्या (अनुबंध भाग का आकार)	रूपयो के रूप में राष्ट्रीय मूल्य	अनुबंध विनिर्देश	इकाइयों की संख्या (अनुबंध भाग का आकार)	रूपयो के रूप में राष्ट्रीय मूल्य
6	7	8	9	10	11

नोट: विकल्पों के मामले में, राष्ट्रीय मूल्य की गणना विकल्पों के लाभाश के विशेष मुद्रा मूल्य के आधार पर की जाएगी

दिनांक:

स्थान:

नाम एव हस्ताक्षर:

पदनाम :

शेयरधारिता का प्रकटीकरण (नियम 9 (I) देखें)

5% या इससे अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों के शेयरधारिता का विवरण

नाम, स्थाई खाता संख्या (पान), सी.आई.एन./डी.आई.एन एव् सम्पर्क सूचना सहित पता	अधिग्रहण से पूर्व प्रतिभूतियां	शेयरधारिका की संख्या व प्रतिशत / मतदान हेतु प्राप्त अधिकार	आवंटन / सलाह की प्राप्ति की तारीख/ अधिग्रहण की तिथि (विशिष्ट)	कम्पनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण के तरीके (बाजार की स्थिति / अधिकार / पूर्ववर्ती अनुबंध आदि)	अधिग्रहण पर शेयरधारित	व्यापारिक सदस्य जिसके माध्यम से सेबी के साथ व्यापार किया गया, टीएम की संख्या	व्यापार करने पर आदान पर विनिमय	खरीद सम्ख्या	शरीद मूल्य
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------	------------

शेयरधारिता का प्रकटीकरण (नियम 9 (I) देखें)

5% या इससे अधिक शेयर रखने वाले व्यक्तियों के शेयरधारिता का विवरण

नाम, स्थाई खाता संख्या (पान), सी.आई.एन./डी.आई.एन एव् सम्पर्क सूचना सहित पता	अधिग्रहण से पूर्व प्रतिभूतियां	शेयरधारिका की संख्या व प्रतिशत / मतदान हेतु प्राप्त अधिकार	आवंटन / सलाह की प्राप्ति की तारीख/ अधिग्रहण की तिथि (विशिष्ट)	कम्पनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण के तरीके (बाजार की स्थिति / अधिकार / पूर्ववर्ती अनुबंध आदि)	शेयर करने के लिए शेयरिंग की जरूरत है	व्यापारिक सदस्य जिसके माध्यम से SEBI Regn के साथ व्यापार किया गया। टीएम की संख्या	व्यापार से बाहर निकलने पर प्राप्त की गई	खरीद सम्ख्या	शरीद मूल्य
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------	------------

पूर्व स्पष्ट आवेदन
सन्दिता के नियम 13 (i) का अनुसरण

मैं अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक / निदेशक/ अधिकारी/ नामित व्यक्ति (कृपया विशेष पदनाम) निवास स्थान कानकार के अभिदान/अधिग्रहण/खरीद/बेच/स्थानांतरण इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण की आवश्यकता का परिचय मेरे नाम पर / मेरे आश्रित के नाम पर / मेरे निकटवर्ती रिश्तेदार के नाम में / और / या मेरे साथ कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्तियों के लिए, रु। कंपनी के % इक्विटी शेयर या मतदान अधिकार।

मैं आगे बताता हूँ कि ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों का कारोबार ___संग्रहस्थान प्रतिभागी के माध्यम से किया जाएगा, जो ___संग्रहस्थान से संबद्ध है।

मैं इसके बारे में पूरी तरह से घोषणा करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के लिए सही और सही है और वहां से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम :

अनुलग्नक- 'जी'

वचन पत्र

कोड के नियम 13 (ii) के लिए पूर्व-निकासी आवेदन के साथ संलग्न होने के लिए

मेरे पास इस उपक्रम के सिगीनिंग के समय तक किसी भी अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी नहीं है या प्राप्त नहीं है या प्राप्त नहीं है

यदि मुझे लेन-देन के उपक्रम और निष्पादन के हस्तक्षेप की अवधि के दौरान किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त होती है या होती है, तो मैं अनुपालन अधिकारी को इसकी सूचना दूंगा और कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से बचना चाहिए। जानकारी सार्वजनिक हो जाती है

अगर मैं दोबारा लेन-देन को पूर्व-मंजूरी नहीं दूंगा, तो मुझे मंजूरी मिलने के सात कारोबारी दिनों के भीतर मैं और / या अपने रिश्तेदारों / आश्रितों के माध्यम से स्वयं या / या आदेशों का निष्पादन करूंगा।

मैं और / या मेरे निकट संबंधी, जो कंपनी के किसी भी नंबर को खरीदते या बेचते हैं, एक विपरीत लेन-देन (गर्भपात व्यापार) में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी पूर्व लेनदेन के बाद अगले छह महीनों के दौरान किसी भी संख्या में शेयरों की बिक्री या खरीद। अपीलकर्ता और / या उसके आश्रित / रिश्तेदार भी किसी भी समय कंपनी के शेयरों में व्युत्पन्न लेनदेन में स्थिति नहीं लेंगे।

मैंने कॉनकॉर्ड्स की आचार संहिता का नियमन और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए अंदरूनी सूत्रों द्वारा और फिरर खुलासे 2015 और लागू कानूनों के लिए कॉनकॉर की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

मैं पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र हूं क्योंकि मैं निर्दिष्ट समय अवधि के लिए प्रतिभूतियों को पकड़ रहा हूं।

मैंने उपरोक्त मामले में पूर्ण और सच्चा खुलासा किया है

नामित व्यक्तियों द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण

में ----- अध्यक्ष व प्रबंध
निदेशक/निदेशक/अधिकारी/ नामित व्यक्ति -----(कृपया पदनाम
का विवरण दे), -----निवासी -----

31 मार्च -----/ के रूप में ----- समाप्त हुए वर्ष के लिए घोषणा प्रस्तुत करते
हैं ।

A. नामित व्यक्ति

क्रम स	विवरण	प्रकटीकरण
a.	नाम	
b.	स्थाई खाता संख्या	
c.	कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता	
d.	दूरभाष, मोबाईल व सैल न. जोकि इस्तेमाल में हो	
*e.	शैक्षिक संस्थानों के नाम जिनमें से नामित व्यक्तियों ने स्नातक किया है	
*f.	उनके पिछले नियोक्ताओं के नाम	

(ई) और (एफ) पर सूचना एक बार प्राप्त के आधार पर प्रदान की जाएगी ।

B. तत्काल रिश्तेदार (जिनमें से कोई भी ऐसे व्यक्तियों पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंधित निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करें):

- i. पति या पत्नी
- ii. माता-पिता
- iii. एक माँ की संताने
- iv. बच्चे
- v. पति या पत्नी के माता-पिता
- vi. पति या पत्नी के भाई-बहन
- vii. पति या पत्नी के बच्चे

c. ऐसे व्यक्ति जिनके साथ इस तरह के नामित व्यक्ति हैं, एक भौतिक वित्तीय संबंध साझा करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी तरह के भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है, जैसे कि बारह महीने के पहले ऋण या उपहार के माध्यम से, कम से कम 25% के बराबर भुगतानकर्ता की वार्षिक आय, लेकिन उन रिश्तों को शामिल नहीं करेगी जिसमें भुगतान भिन्न रूप से लेनदेन पर आधारित होता है।

नोट: (बी) और (ग) के संबंध में जानकारी (A) के अंतर्गत समान पत्रक के रूप में जमा करना आवश्यक है ।

नोट -2: जब भी पूर्व घोषित घोषणाओं में दी गई सूचना में परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित / अपडेटेड घोषणा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है ।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम :

